

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ३० सन् २०१९

महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१९

महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम और २०१९ है। प्रारंभ..

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

२. महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ (क्रमांक १५ सन् २००८)की धारा २८ में,—

धारा २८ का
संशोधन.

(एक) उपधारा (२) में, खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(एक) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति”;

(दो) उपधारा (३) में, शब्द “कार्य परिषद्” के स्थान पर, शब्द “राज्य सरकार” स्थापित किए जाएं।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ (क्रमांक १५ सन् २००८) की धारा २८ की उपधारा (२) में, समिति के माध्यम से नियमित कुलपति की नियुक्ति का उपबंध है। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति की नियुक्ति में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है, जबकि राज्य सरकार विश्वविद्यालय के सफल संचालन के लिए नीति के अवधारण के लिये प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी भी है और विश्वविद्यालय हेतु वित्तीय उपबंध भी करती है। राज्य सरकार, विश्वविद्यालय से संबंधित मामलों के लिये जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। विश्वविद्यालय में सुशासन सुनिश्चित करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा २८ में यथोचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख : १२ दिसम्बर, २०१९।

जीतू पटवारी
भारसाधक सदस्य।

उपाबन्ध

महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ (क्रमांक १५ सन् २००८) से उद्धरण.

ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରିସନ୍ କଲୋଇନ୍ ଏବଂ ଡାଁ ପ୍ରୋଫ୍ସ୍ ମହାନ୍ତିରେ ଜୀବିତରେ ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ କଥା

कलाधिपति एक समिति नियुक्त करेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :-

- (एक) कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित किया गया व्यक्ति;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशन किया गया एक व्यक्ति;

(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक व्यक्ति;

धारा २८ उपधारा (३)

उपधारा (२) के अधीन समिति गठित करने के लिए, कुलाधिपति, कुलपति की अवधि का अवसान होने के छह माह पूर्व, कार्यपरिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को अपने-अपने नामनिर्देशितियों को चुनने के लिये अपेक्षित करेगा और यदि उनमें से कोई एक या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहते हैं तो कलाधिपति, यथास्थिति, किसी एक या दोनों व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकेगा।

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.